न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
122/2023 प्रा.पत्र/2023	06.11.2023	12.01.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री पुरूषोत्तम वाधवानी पुत्र श्री शोभाराम वाधवानी निवासी कुम्हारों की चौकी कालीपलटन टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स क्योरवेल मेडिकल एजेन्सीज अस्पताल रोड कलेक्ट्री के पास टोंक जिला टोंक। पिनकोड–304001 मोबाईल नं. 9414585515
2–श्री ललित कुमार वाधवानी पुत्र श्री शोभाराम वाधवानी निवासी कुम्हारों की चौकी कालीपलटन टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स क्योरवेल मेडिकल एजेन्सीज अस्पताल रोड कलेक्ट्री के पास टोंक जिला टोंक। पिनकोड–304001
3–श्री मनन मदान पुत्र श्री संजय मदान निवासी 155, गुरूनानक पुरा परनामी मन्दिर के पास, राजा पार्क, जवाहर नगर जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स मनन फार्मा बीबीबी–3, 2 फ्लोर, दूनी हाउस, फिल्म कॉलोनी जयपुर राज.। पिनकोड–302003
4–मैसर्स मनन फार्मा बीबीबी–3, 2 फ्लोर, दूनी हाउस, फिल्म कॉलोनी जयपुर राज.। पिनकोड–302003
5–श्री विशाल गोयल निवासी बी–101, कौशल्या टॉवर2, होम्योपैथिक अस्पताल के पास वनस्थली मार्ग जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स हेमविन फार्मा बी–101, कौशल्या टॉवर 2, होम्योपैथिक अस्पताल के पास वनस्थली मार्ग जयपुर राज.। पिनकोड–302001
6–मैसर्स हेमविन फार्मा बी–101, कौशल्या टॉवर 2, होम्योपैथिक अस्पताल के पास वनस्थली मार्ग जयपुर राज.। पिनकोड–302001

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री मनोज गुप्ता उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 12.01.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.04.2023 को समय 04:00 पीएम पर मैसर्स क्योरवेल मेडिकल एजेन्सीज अस्पताल रोड कलेक्ट्री के पास टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री पुरूषोत्तम वाधवानी पुत्र श्री शोभाराम वाधवानी मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पुरूषोत्तम वाधवानी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाकर श्री ललित कुमार वाधवानी को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान की रैक में लगभग 40 नग पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 200–200 एम.एल. पैक **डाईटरी न्यूट्रीशियनल सप्लीमेंट (हैल्थ सप्लीमेंट पावडर) (हेमविट ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री पुरूषोत्तम वाधवानी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री पुरूषोत्तम वाधवानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **डाईटरी न्यूट्रीशियनल सप्लीमेंट (हैल्थ सप्लीमेंट पावडर) (हेमविट ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 2337 एवं पैकिंग की दिनांक 01/2023 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 200–200 एम.एल. के 8 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **डाईटरी न्यूट्रीशियनल सप्लीमेंट (हैल्थ सप्लीमेंट पावडर) (हेमविट ब्राण्ड)** 200–200 एम.एल. के 8 मूल पैक को ज्यों का त्यों 2–2 नग को खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3572 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3572 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री पुरूषोत्तम वाधवानी पुत्र श्री शोभाराम वाधवानी ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स मनन फार्मा बीबीबी–3, 2 फ्लोर, दूनी हाउस, फिल्म कॉलोनी जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/704 दिनांक 19.07.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस.

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

/1338/एक्ट/2023/2321 दिनांक 16.06.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **डाईटरी न्यूट्रीशियनल सप्लीमेंट (हैल्थ सप्लीमेंट पावडर) (हेमविट ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

आवेदक ने मैसर्स मनन फार्मा को पत्र प्रेषित कर वारन्टी बिल चाहा गया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स हेमविन फार्मा बी–101, कौशल्या टॉवर 2, होम्योपैथिक अस्पताल के पास वनस्थली मार्ग जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। मैसर्स हेमविन फार्मा को आवेदक द्वारा बिल हेतु पत्र प्रेषित किए गए परन्तु कोई प्रतिउत्तर नहीं मिला। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मनोज गुप्ता एडवोकेट उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **डाईटरी न्यूट्रीशियनल सप्लीमेंट (हैल्थ सप्लीमेंट पावडर) (हेमविट ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **डाईटरी न्यूट्रीशियनल सप्लीमेंट (हैल्थ सप्लीमेंट पावडर) (हेमविट ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 30000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.01.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0